

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

भाग-1

विभाग की प्रशासकीय संरचना :-

छत्तीसगढ़ राज्य में पंचवर्षीय एवं वार्षिक योजनाओं के विनिर्माण, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु तथा राज्य के विभागीय गतिविधियों के सांख्यिकी का संकलन, संधारण एवं उनको प्रकाशन का रूप देने, सर्वेक्षण, जन्म-मृत्यु पंजीयन इत्यादि कार्यों को सम्पादित करने का दायित्व योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग का है। उपरोक्त दायित्वों के सम्पादन हेतु विभाग के अन्तर्गत निम्नानुसार दो विभागाध्यक्ष कार्यालय कार्यरत हैं :-

1. राज्य योजना मण्डल
2. आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय

विभागाध्यक्ष

(1) राज्य योजना मण्डल -

राज्य की पंचवर्षीय एवं वार्षिक योजना के विनिर्माण, समीक्षा एवं मूल्यांकन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य में राज्य योजना मण्डल शीर्ष राज्य स्तरीय संस्था है। मान. मुख्यमंत्री जी इसके अध्यक्ष तथा मान. वित्त एवं योजना मंत्री जी पदेन उपाध्यक्ष हैं। वर्तमान में डॉ. डी.एन. तिवारी, छत्तीसगढ़ राज्य योजना मण्डल के उपाध्यक्ष हैं।

(2) आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय -

राज्य के सांख्यिकी गतिविधियों का समन्वय, सांख्यिकी समंकों का एकत्रीकरण, संधारण, सारणीयन तथा प्रकाशन का रूप देना एवं क्षेत्र सर्वेक्षण कार्य आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय द्वारा सम्पादित किया जाता है। संचालनालय के अन्तर्गत राज्य, जिला तथा जनपद स्तर पर विभिन्न संवर्गों के अधिकारी/कर्मचारी पदस्थ हैं।

विभाग के अन्तर्गत प्रतिपादित नीति संबंधी विषय -

1. पंचवर्षीय योजनाओं तथा वार्षिक योजनाओं का निर्माण, पुनर्विलोकन तथा मूल्यांकन।
2. उन परियोजनाओं/कार्यक्रमों, जो योजना में सम्मिलित नहीं हैं, परियोजनाओं कार्यक्रमों का पूर्व मूल्यांकन तथा अनुमोदन।

3. भावी योजना बनाना, जिसमें सामग्री, जनशक्ति तथा संसाधन योजना बनाना शामिल है तथा संसाधन तालिकाएं तैयार करना ।
4. सम्पूर्ण राज्य के लिये, साथ ही विभिन्न जिलों तथा क्षेत्रों के लिये सेक्टरों में विकास के स्तर का निर्धारण ।
5. पंचवर्षीय योजना के राष्ट्रीय उद्देश्यों की दृष्टि से राज्य के लिये प्राथमिकताओं का निर्धारण ।
6. स्थानिक और क्षेत्रीय (सेक्टरल) योजनाओं का एकीकृत राज्य योजनाओं के साथ संश्लेषण करना और उनके निर्मित रूप का योजना मंडल में संगत समन्वय करना ।
7. योजना प्रगति का परिवीक्षण, मूल्यांकन और योजना से संगत जानकारी एकत्रित करना ।
8. अनुसंधान तथा प्रशिक्षण ।
9. योजना मण्डल से संबंधित समस्त विषय ।
10. अन्य विभागों को सौंपे गये विषयों को छोड़कर सांख्यिकी तथा आर्थिक अन्वीक्षण से संबंधित समस्त विषय ।
11. सामाजिक सर्वेक्षण तथा अन्वीक्षा ।
12. आर्थिक एवं सांख्यिकी अनुसंधान का प्रकाशन और प्रसार तथा उसके परिणामों का प्रकाशन ।
13. ऐसी सेवाओं से संबंध सभी विषय जिनका विभाग से संबंध हो (वित्त विभाग तथा समान्य प्रशासन विभाग को आवंटित किये गये विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ – नियुक्तियां, पदस्थापनाएं, स्थानांतरण, वेतन, छुट्टी, निवृत्ति वेतन, पदोन्नतियां, भविष्य निधि, प्रतिनियुक्तियां, दण्ड, अभ्यावेदन तथा अपीलें ।

(3) विभाग के अंतर्गत प्रचलित अधिनियम तथा नियम

मध्यप्रदेश राज्य के अंतर्गत जो अधिनियम/नियम लागू थे, वर्तमान में यथावत रूप से छत्तीसगढ़ राज्य के लिये अनुकूलन कराया गया है ।

(4) विभाग के अधीन कार्यालय

1. छत्तीसगढ़ राज्य योजना मण्डल ।
2. छत्तीसगढ़ आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय ।

(5) वित्तीय प्रावधान एवं व्यय

वर्ष 2005-06 में स्वीकृत एवं वर्ष 2006-07 के लिए बजट प्रस्ताव की स्थिति निम्नानुसार है :-

(राशि हजार रूपये में)

क्र	कार्यालय	स्वीकृत बजट प्रावधान वर्ष 2005-06	पुनरीक्षित बजट प्रस्ताव वर्ष 2005-06	बजट अनुमान प्रस्ताव वर्ष 2006-07
1.	राज्य योजना मण्डल			
(अ)	राज्य योजना मण्डल (आयोजनेत्तर)	6370	5268	5303
(ब)	जन सहभागिता योजना (आयोजना)	80000	80000	80000
(स)	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना (आयोजना)	364000	364000	364000
(द)	छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र विकास योजना	16461	16461	निरंक
योग		466831	465729	449303

विस्तृत विवरण संबंधित विभागाध्यक्ष कार्यालय के कार्यकलापों की टीप के साथ आगे दिया गया है ।

विभाग के अन्तर्गत मंडल/उपक्रम/संस्थाओं का विवरण विभागों के अन्तर्गत कोई अन्य संस्थाएं नहीं हैं ।

(अ) राज्य योजना मण्डल

भाग – एक

विभागीय संरचना :-

एक नवम्बर 2000 से भारत देश के 26 वें राज्य छत्तीसगढ़ का गठन हुआ है । प्रदेश में उपलब्ध संसाधनों के समुचित उपयोग एवं राज्य के विकास की प्राथमिकताओं को निर्धारित करने के उद्देश्य से योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के आदेश क्रमांक – 26/2001/योआसां/23, दिनांक 10 जनवरी, 2001 द्वारा राज्य योजना मण्डल छत्तीसगढ़ का गठन किया गया है । राज्य योजना मण्डल के अध्यक्ष, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं तथा माननीय वित्त मंत्री जी पदेन उपाध्यक्ष हैं । डॉ. डी.एन. तिवारी, राज्य योजना मण्डल के उपाध्यक्ष हैं । अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त तथा योजना विभाग, राज्य योजना मंडल के पदेन सदस्य सचिव बनाये गये हैं । इसके अतिरिक्त प्रमुख सचिव, वन विभाग, प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, प्रमुख सचिव, कृषि एवं पदेन कृषि उत्पादन आयुक्त, प्रमुख सचिव, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग कल्याण, सचिव, जल संसाधन विभाग, राज्य योजना मण्डल के सदस्य बनाये गये हैं । विशेष सचिव, वित्त योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, राज्य योजना मण्डल के पदेन कार्यालय प्रमुख हैं ।

छत्तीसगढ़ राज्य योजना मण्डल के प्रशासनिक अमले की जानकारी परिशिष्ट एक (1) परिशिष्ट एक (2) में दी गई है ।

अधीनस्थ कार्यालय

जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय :

शासन के आदेश क्रमांक 332/2001/योआसां/दिनांक 20.7.2001 द्वारा योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत जिला स्तर पर जिला योजना समिति कार्यालय तथा जिला सांख्यिकी कार्यालय का एकीकरण कर, 01 अगस्त 2001 से जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय का गठन किया गया है ।

मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम,1995 (क्रमांक 19 सन् 1995) को राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ-1/2001/यो/18, दिनांक 5-1-2001 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में यथानुसार छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति अधिनियम के रूप में प्रवृत्त किया गया है । छत्तीसगढ़ राज्य के 16 जिलों में जिला योजना समिति गठित है । जिलाध्यक्ष, जिला योजना समिति के सदस्य सचिव हैं, तथा कार्यालय प्रमुख जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी हैं ।

राज्य योजना मण्डल के दायित्व :-

1. राज्य की पंचवर्षीय एवं वार्षिक योजना का विनिर्माण ।
2. राज्य के साधनों का मूल्यांकन करना और उसके सर्वाधिक प्रभावी उपयोग के लिए योजनाएं बनाना ।
3. योजना की प्राथमिता निश्चित करना ।
4. जिलों के उन क्षेत्रों में जिसमें विकास योजनाएं तैयार करना, राज्य की योजना के ढाँचे के अंदर उपयोगी माना जाए ऐसी योजनाएँ बनाने में जिला अधिकारियों की सहायता करना ।
5. उन कारणों का पता लगाना, जिनमें राज्य के आर्थिक तथा सामाजिक विकास में रुकावटें आती हों और राज्य में, क्षेत्र में व्याप्त असंतुलन को दूर करने के उपाय सुझाना ।
6. योजना कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा/पुनर्विलोकन करना तथा नीतियों और उपायों में ऐसे समायोजनों की सिफारिश करना जो जरूरी है ।

राज्य योजना मण्डल के प्रमुख कार्य एवं गतिविधियाँ :-

1. दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) :- राज्य योजना मण्डल द्वारा राज्य की पंचवर्षीय योजना (2002-07) का दृष्टिकोण पत्र एवं रूपये 15,000 करोड़ परिव्यय का विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया गया । योजना प्रस्ताव एवं योजना दृष्टिकोण पत्र योजना आयोग को अनुमोदन के लिए भेजे गये । योजना प्रस्ताव प्राप्त होने पर योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री के.सी. पंत द्वारा दसवीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को 23 अप्रैल 2002 को योजना भवन नई दिल्ली में आयोजित बैठक में चर्चा हेतु आमंत्रित किया गया । राज्य की योजना हेतु संसाधनों के जुटाने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) का कुल परिव्यय रूपये 11,000 करोड़ निर्धारित किया गया है ।

2. वार्षिक योजना 2005-06 :- योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा राज्य योजना मण्डल ने 4275 करोड़ रूपये परिव्यय का वार्षिक योजना 2005-06 का प्रस्ताव तैयार किया ।

दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंग के रूप में वार्षिक योजना 2005-06 में भी सर्वाधिक राशि का प्रावधान सामाजिक सेवा क्षेत्रक के विकास हेतु रु. 1621.50 करोड़ का किया गया है जो कुल योजना परिव्यय का 37.93 प्रतिशत है । समाज सेवा क्षेत्रक के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छ पेय जल, एवं कमजोर वर्गों जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिलाएं एवं शिशु कल्याण शामिल है ।

योजना आयोग के द्वारा राज्य की दसवीं पंचवर्षीय योजना एवं वार्षिक योजना 2005-06 क्षेत्रकवार निम्नानुसार अनुमोदित की गई है :-

(रूपये करोड़ में)

क्र.	प्रमुख क्षेत्रक	दसवीं पंचवर्षीय	कुल का प्रतिशत	वार्षिक योजना 2005-06
1.	कृषि तथा संबंध सेवाएं	860.97	7.83	338.61
2.	ग्रामीण विकास	1158.91	10.54	459.75
3.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	—	—	23.46
4.	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	2506.65	22.79	917.54
5.	ऊर्जा	133.25	1.21	150.00
6.	उद्योग तथा खनिजकर्म	214.12	1.95	76.64
7.	यातायात	451.64	4.11	536.23
8.	संचार	—	—	1.89
9.	विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	10.83	0.10	5.22
10.	सामान्य आर्थिक सेवाएं	169.19	1.54	86.02
11.	सामाजिक सेवाएं	5256.15	47.76	1621.50
12.	सामान्य सेवाएं	238.29	2.17	58.14
	कुल योग :-	11000.00	100.00	4275.00

राज्य की वार्षिक योजना वर्ष 2006-07 का प्रारूप 4523 करोड़ रूपये का तैयार कर योजना आयोग, नई दिल्ली को भेजा गया है ।

प्रशिक्षण:—

सभी विकास विभागों के नियोजन कार्य में लगे अधिकारियों को एवं जिलों में पदस्थ जिला योजना अधिकारियों एवं अन्य अधिकारियों को राज्य की पंचवर्षीय/वार्षिक योजना तैयार करने हेतु जारी किये गये नवीनतम निर्देशों/तकनीक से भिन्न होने के उद्देश्य से प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है।

प्रमुख विशेषताएँ:—

1. जिला योजना समिति:— संविधान के 73 वे एवं 74 वे संशोधनों के संदर्भ में नवगठित छत्तीसगढ़ प्रदेश में पूर्व से ही त्रिस्तरीय पंचायतें एवं नगरीय निकाय गठित हैं। जिले में निचले स्तर से नियोजन कार्य के लिए व्यवस्था निर्मित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 243 जेड-डी के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा म.प्र. जिला योजना समिति अधिनियम क्रमांक-19 सन् 1995 को अधिसूचना द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत्त कर जिला योजना समितियों का प्रावधान किया गया है जिसके अध्यक्ष राज्य शासन द्वारा नामांकित मंत्री हैं। समिति में जिला पंचायत नगर पंचायत के निर्वाचित सदस्य एवं राज्य शासन द्वारा नामांकित सदस्य सहित अधिनियम की अनुसूची के अनुसार 10 से 20 सदस्य होंगे। जिलाध्यक्ष इस समिति के सदस्य सचिव हैं इसके अतिरिक्त लोकसभा एवं विधानसभा के सदस्य समिति के सम्मेलनों में विशेष रूप से आमंत्रित होंगे। जिला योजना समिति अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए उप समितियां गठित कर सकेंगी। विशिष्ट क्षेत्रों में निर्मित यह उपसमितियां उन क्षेत्रांतर्गत कराये जा रहे कार्यो/प्रयासों की निरन्तर समीक्षा एवं मनीटोरिंग करेगी एवं अपने विषयों से संबंधित सुझाव दे सकेगी। जिला योजना समितियों के निम्नलिखित कृत्य हैं:—

1. राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय उद्देश्य के ढांचे के भीतर रहते हुए स्थानीय आवश्यकताओं तथा उद्देश्य का अभिनिर्धारण करना।
2. योजनाओं को विकेन्द्रीकृत करने के लिए ठोस आंकड़ों का आधार सृजित करने हेतु जिले के प्राकृतिक तथा मानव संसाधनों से संबंधित जानकारी का संग्रहण संकलन तथा उन्हें अद्यतन करना और जिले एवं विकास खण्ड की संसाधनों की रूपरेखा तैयार करना।
3. ग्राम खण्ड तथा जिला स्तरों पर उपलब्ध सुख-सुविधाओं को सूचीबद्ध करना तथा उनका निरूपण करना।
4. उपलब्ध प्राकृतिक/मानव संसाधनों के अधिकतम तथा न्यायसंगत उपयोग/विदोहन की सुनिश्चित करने की दृष्टि से विकास के लिए नीतियों, कार्यक्रमों तथा प्राथमिकताओं का अवधारणा करना।

5. पंचायतों तथा नगरीय निकायों द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करते हुए जिले के सामाजार्थिक, भौतिक, सामायिक तथा स्थान संबंधी आयामों के परिपेक्ष्य में जिले के पंचवर्षीय और वार्षिक योजना का प्रारूप तैयार करना तथा उसे राज्य की योजना में सम्मिलित करने हेतु राज्य सरकार को प्रस्तुत करना।
6. जिले के लिए रोजगार की योजना तैयार करना।
7. जिले की योजना के वित्त पोषण के लिए वित्तीय संसाधनों का प्राक्कलन करना।
8. जिला विकास योजना के सम्पूर्ण ढांचे के भीतर रहते हुए क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय परिव्ययों का आबंटन करना।
9. विकेन्द्रीकृत योजना के ढांचे के अंतर्गत कार्यान्वित की जा रही योजनाओं/कार्यक्रमों जिनमें केन्द्र क्षेत्रीय/केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों तथा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की स्थानीय विकास योजना एवं छत्तीसगढ़ स्थानीय विकास योजना एवं जनसहभागिता योजना की सम्मिलित है की प्रगति का अनुश्रवण करना, उनका मूल्यांकन करना तथा पुर्नविलोकन करना।
10. जिला योजनाओं में सम्मिलित योजनाओं के संबंध में नियमित प्रगति प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत करना।
11. ऐसी योजनाओं और कार्यक्रमों का अभिनिर्धारण करना जिनमें संस्थागत वित्त पोषण किया जाना अपेक्षित है, उन्हें जिला योजनाओं के साथ समुचित रूप से संबद्ध करने के उपाय करना तथा वह सुनिश्चित करना कि उन्हें ऐसा वित्तीय विनियोजन अपेक्षित मात्रा में प्राप्त होता रहे।
12. विकास की सम्पूर्ण प्रक्रिया के स्वेच्छिक संगठनों की सहभागिता को सुनिश्चित करना।
13. जिले के विकास की प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाले राज्य सेक्टर की योजनाओं के संबंध में राज्य सरकार को सुझाव देना।

आर्थिक सलाहकार परिषद:-

छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ-10-6/2002/1/5, दिनांक 24 जनवरी 2004 द्वारा छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद को समाप्त कर दिया गया है।

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के अनुरूप राज्य विकास परिषद के गठन हेतु प्रक्रिया जारी है।

परियोजना निर्माण एवं क्रियान्वयन समिति:-

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त तथा योजना विभाग के आदेश क्रमांक 485 दिनांक 4.6.2002 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में विभिन्न विकास कार्य एवं जनहित की योजनाओं को सफलता पूर्वक क्रियान्वित किये जाने के उद्देश्य से विभागों द्वारा प्रस्तावित योजनाओं का परीक्षण तथा समीक्षा करने हेतु परियोजना निर्माण एवं क्रियान्वयन समिति (पी.एफ. आई.सी.)का गठन किया गया है।

समिति में मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन अध्यक्ष है, अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं योजना विभाग, कृषि उत्पादन आयुक्त, सचिव, जल संसाधन विभाग, ऊर्जा विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग सदस्य है सलाहकार, राज्य योजना मण्डल सदस्य सचिव है।

समिति ऐसी योजनाओं/परियोजनाओं का परीक्षण करेगी जिसकी पूंजीगत लागत रूपये 10 करोड़ या इससे अधिक हैं संबंधित प्रशासकीय विभागों द्वारा प्रस्तुत इस प्रकार की योजना /परियोजना के संबंध में समिति उसकी आवश्यकता उससे राज्य को होने वाला लाभ, उसकी लागत व आर्थिक दृष्टि से उसकी उपादेयता(Vaibility) आदि मुद्दों पर विचार कर इसका अनुमोदन करेगी।

भाग दो

छत्तीसगढ़ राज्य योजना मण्डल का बजटीय प्रस्ताव

क्र	योजना शीर्ष एवं क्रमांक	स्वीकृत बजट वर्ष 2005-06	पुनरीक्षित अनुमान वर्ष 2005-06	31 दिसम्बर 2005-06 वास्तविक व्यय	बजट अनुमान 2006-07
मांग संख्या -31, मुख्य लेखा शीर्ष-3451					
1.	राज्य योजना मण्डल (आयोजनेत्तर)	63.70	52.68	25.78	53.03
2.	जन सहभागिता योजना (आयोजना मद)				
		800.00	800.00	263.93	800.00
4.	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना (आयोजन मद)				
		3640.00	3640.00	514.09	3640.00

भाग-3

राज्य योजनाएं तथ केन्द्र प्रवर्तित योजना

(अ) राज्य योजनाएँ

1. छत्तीसगढ़ स्थानीय विकास योजना:-

वर्ष 2004-05 में छत्तीसगढ़ स्थानीय विकास योजना समाप्त कर दी गई है। इस योजनांतर्गत पूर्व वर्षों में स्वीकृत निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी माह दिसम्बर 2005 की स्थिति में निम्नानुसार है:-

वर्ष	आवंटन (लाख में)	व्यय राशि (लाख में)	स्वीकृत कार्य (संख्या)	पूर्ण कार्य (संख्या)	प्रगति पर (संख्या)
2002-03	1820.00	1530.61	1955	1817	138
2003-04	4373.65	3667.05	7588	7205	383

2. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना:-

राज्य शासन द्वारा वर्ष 2005-06 से सम्पूर्ण राज्य में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना (विधायक निधि) लागू की गई है। यह योजना पूर्व में प्रचलित छत्तीसगढ़ स्थानीय विकास योजना का स्थान लेगी।

छत्तीसगढ़ स्थानीय विकास योजना में जो आंशिक संशोधन किये गये हैं उनके मुख्य बिंदु निम्न प्रकार हैं:-

- (अ) मार्गदर्शिका की कंडिका 1.2 के अनुसार मान, विधायकगण अपने विधान सभा क्षेत्र में प्रति वर्ष रु. 30.00 लाख की लागत से छोटे-छोटे पूंजीगत प्रकृति के कार्यों की अनुशंसा कर सकेंगे जिसकी स्वीकृति कलेक्टर द्वारा दी जायेगी।
- (ब) मार्गदर्शिका की कंडिका 1.3 के अनुसार प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र हेतु पृथक से रु. 10.00 लाख तक के कार्यों के जनप्रतिनिधियों के अनुशंसा पर जिले के मान, प्रभारीमंत्री के अनुमोदन उपरांत मार्गदर्शिका के अनुरूप कलेक्टर द्वारा स्वीकृति जारी की जायेगी।
- (स) योजना की मार्गदर्शिका की कंडिका 2.4 के अनुसार 11 वे वित्त आयोग के अंतर्गत अनुसंसित कार्यों के लिए 25 प्रतिशत अंशदान राशि जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है। ग्रामों में खंरजों के साथ-साथ सीमेंट क्रॉक्रीट मार्ग निर्माण तथा सार्वजनिक संगठन के द्वारा शाला भवन निर्माण को अनुमत क्षेत्रों में लिया गया है। इस योजनांतर्गत वर्ष 2005-06 तक प्राप्त आवंटन एवं स्वीकृत कार्यों की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	आबंटन (लाख में)	स्वीकृत कार्य (संख्या) (31 दिसम्बर 05)	पूर्ण कार्य (संख्या) (31 दिसम्बर 05)	प्रगति पर (संख्या) (31 दिसम्बर 05)
2005-06	3640.00	1670	310	1360

3. जन सहभागिता योजना:-

राज्य के विकास के लिए राज्य के विभिन्न विकास विभागों द्वारा विकास योजनाएं क्रियान्वित की जाती हैं। राज्य के सीमित वित्तीय साधनों से प्राथमिकताओं के आधार पर विकास संबंधी कार्य लिए जाते हैं अतः समस्त जनआकांक्षाओं की पूर्ति नहीं होती साथ ही राज्य शासन द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों के रख-रखाव की ओर जनता कोई उत्तरदायित्व नहीं समझती है। अतः विकास कार्यों में जनभागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ राज्य जन सहभागिता नियम-2001 बनाये गये हैं।

इस योजना के अंतर्गत यदि किसी क्षेत्र के लोग मानव श्रम अथवा राशि के रूप में निर्माण कार्यों में सहयोग देना चाहते हैं तो उस क्षेत्र में निर्माण कार्य को स्वीकृत किया जा सकेगा। इसके लिए क्षेत्र के लोगों को प्रस्ताव स्थानीय संस्था को देना होगा। स्थानीय संस्था कलेक्टर/मुख्य कार्यापालन अधिकारी जिला पंचायत को भेजेगी। सामान्य क्षेत्र में 50 प्रतिशत तक अनुसूचित क्षेत्रों में 75 प्रतिशत तक शासन का अनुदान रहेगा। शेष राशि क्रमशः 50 प्रतिशत एवं 25 प्रतिशत जन भागीदारी के रूप में रहेगी।

योजनांतर्गत मुख्य रूप से ग्राम पंचायतों /नगरीय निकायों को स्थानी मूलभूत सेवाओं से संबंधित जन उपयोगी विकास कार्य किए जायेगे।

जनसहभागिता योजना के अंतर्गत कार्यों के निर्माण पंचायत/नगरीय निकायों अथवा जिले के कलेक्टर द्वारा नियुक्त निर्माण समिति द्वारा किया जायेगा। निर्माण समिति में जन सहयोग देने वाले लोगों के दो प्रतिनिधि संबंधित जिला पंचायत /नगरीय निकाय का एक प्रतिनिधि होगा।

यह योजना वर्ष 2002-03 से राज्य योजना मण्डल के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है। योजनांतर्गत दिसम्बर 2005 की स्थिति में वर्षवार स्वीकृत एवं पूर्ण कार्यों का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	आबंटन (लाख में)	स्वीकृत कार्य (संख्या) (31 दिसम्बर 05)	पूर्ण कार्य (संख्या) (31 दिसम्बर 05)	प्रगति पर (संख्या) (31 दिसम्बर 05)
2002-03	800.00	473	460	13
2003-04	800.00	465	438	27
2004-05	800.00	376	308	68
2005-06	800.00	272	97	175

(ब) केन्द्र / क्षेत्रीय योजना:

भारत सरकार द्वारा 23 दिसम्बर 1993 से आरंभ की गई सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत प्रत्येक सांसद को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 1 करोड़ रुपये के स्थानीय महत्व के निर्माण कार्य अपने निर्वाचन क्षेत्र में अनुशंसित करने का अधिकार दिया गया था इसे वर्ष 1998-99 से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये कर दी गई है। प्रति वर्ष सांसद रुपये 2 करोड़ के मान से आवंटन एवं योजना के प्रभावी क्रियान्वयन संबंधी निर्देश सीधे भारत सरकार से जिला कलेक्टरों को प्राप्त होते हैं। योजनांतर्गत वर्ष 1993-94 से (अक्टूबर 2005 की स्थिति) प्राप्त आवंटन एवं स्वीकृति की प्रगति निम्नानुसार है:-

वर्ष	आबंटन (लाख में)	स्वीकृत कार्य	पूर्ण कार्य	प्रगति पर
93-94 से अक्टूबर 05 तक	31163.95	24113	21946	2167

भाग-4

सामान्य प्रशासनिक विषय- निरंक

भाग-5

अभिनव योजना:-

(1) छत्तीसगढ़ राज्य के लिये जनसहभागिता योजना नियम बनाये गये हैं। यह योजना वर्ष 2002-03 से प्रारंभ हुई। योजना हेतु वर्ष 2005-06 में 800 लाख रुपये बजट प्रवधान है।

(2) वर्ष 2004-05 से विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना (विधायक निधि) का क्रियान्वयन प्रारंभ किया गया है। यह योजना विगत वर्ष में प्रचलित छत्तीसगढ़

विकास योजना का स्थान लेगी। वर्ष 2005–2006 में इस योजना के अंतर्गत 3640.00 लाख रुपये का बजट आवंटन उपलब्ध है।

भाग—6

प्रकाशन:—

राज्य की 10 वीं पंचवर्षीय योजना एवं वार्षिक योजना 2005–2006 का प्रतिवेदन प्रकाशित किया गया है। वार्षिक योजना 2006–2007 का ड्राफ्ट तैयार कर योजना आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित कर दिया गया है।

भाग—7

सारांश:

विभिन्न विकास विभागों की योजना संबंधी प्रस्तावों को प्राप्त कर उन्हें अंतिम रूप देकर प्रदेश की योजना तैयार कर उसका अनुमोदित योजना आयोग से प्राप्त करना राज्य योजना मंडल का एक प्रमुख दायित्व है। वर्ष 2005–2007 की वार्षिक योजना हेतु 4275.00 करोड़ की राशि योजना आयोग द्वारा अनुमोदित की गई है तथा वर्ष 2006–06 की वार्षिक योजना हेतु रुपये 4523.38 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

परिशिष्ट- एक(1)
राज्य योजना मण्डल में स्वीकृत एवं भरे पदों की स्थिति
(31 दिसम्बर 2005 की स्थिति में)

क्रमांक	स्वीकृत पदनाम	श्रेणी	स्वीकृत पद संख्या	भरे हुये पद	रिक्त पद संख्या	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7
1.	सदस्य सचिव	प्रथम	1	1	0	
2.	विशेष सचिव/ उप सचिव	प्रथम	1	1	0	
3.	संयुक्त संचालक	प्रथम	2	0	2	
4.	अवर सचिव	प्रथम	1	0	1	
5.	सहायक संचालक	द्वितीय	2	2	0	
6.	लेखाधिकारी	द्वितीय	1	1	0	
7.	स्टेनोग्राफर ग्रेड-1	द्वितीय	1	0	1	
8.	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	तृतीय	4	2	2	
9.	सहायक प्रोग्रामर	तृतीय	1	0	1	
10.	अन्वेषक	तृतीय	4	1	3	
11.	संगणक/डाटा एण्ट्री आपरेटर	तृतीय	4	1	3	
12.	स्टेनोग्राफर ग्रेड-2	तृतीय	2	2	0	
13.	स्टेनोग्राफर ग्रेड-3	तृतीय	2	2	0	
14.	सहायक ग्रेड-1	तृतीय	1	0	1	
15.	वरिष्ठ लखापाल	तृतीय	1	0	1	
16.	जूनियर एकाउन्टेन्ट	तृतीय	1	1	0	
17.	सहायक ग्रेड-2	तृतीय	2	0	2	
18.	सहायक ग्रेड-3	तृतीय	2	2	0	
19.	वाहन चालक वरिष्ठ	तृतीय	1	0	1	
20.	वाहन चालक कनिष्ठ	चतुर्थ	1	1	0	
21.	दफ्तरी	चतुर्थ	1	0	1	
22.	भृत्य	चतुर्थ	5	5	0	
23.	वाटर मेन	चतुर्थ	1	0	1	
24.	फरार्श	चतुर्थ	1	0	1	
	योग		43	22	21	

परिशिष्ट- एक (2)

उपाध्यक्ष, राज्य योजना मण्डल के लिए छ.ग. शासन द्वारा स्वीकृत सेटअप की 31 दिसम्बर 2005 की स्थिति अनुसार भरे एवं रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रमांक	स्वीकृत पदनाम	श्रेणी	स्वीकृत पद संख्या	भरे हुये पद	रिक्त पद संख्या	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7
1.	उपाध्यक्ष	प्रथम	01	01	0	
2.	विशेष सहायक	प्रथम	01	—	01	
3.	निज सचिव	द्वितीय	01	01	0	
4.	निज सहायक	तृतीय	01	01	0	निज सहायक पद के विरुद्ध प्रतिनियुक्ति पर
5.	सहायक ग्रेड-2	तृतीय	01	—	01	
6.	वाहन चालक	तृतीय	01	01	0	पद के विरुद्ध दैनिक वेतन पर कार्यरत
7.	भृत्य	चतुर्थ	03	03	0	
	योग:-		09	07	02	